दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय घोषित: 03.07.2023

रि.या.(आप.) 697/2022

बुधी सिंघ ....याची

के द्वारा: श्री अमन पंवार और श्री शिवम सिंह बघेल, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

के द्वारा: सुश्री रुपाली बंदोपाध्याय, राज्य की अति.स्था.अधि. श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, *न्याय मित्र* के साथ सुश्री विधि टेकर , अधिवक्ता

रि.या.(आप.) 997 / 2022

बसंत वल्लभ ....याची

के द्वारा : श्री श्रुतंजय भारद्वाज, श्री जीशान दीवान और श्री ऋषभ यादव, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

के द्वारा : सुश्री रुपाली बंदोपाध्याय, राज्य की अति.स्था.अधि.। श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, *न्याय मित्र* के साथ सुश्री विधि टेकर , अधिवक्ता

<u>रि.या.(आप.) 1044 / 2022</u>

सुरेश चंद शर्मा .....याची

के द्वारा : श्री रोहन जे. अल्वा, अधिवक्ता।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

के द्वारा: सुश्री रुपाली बंदोपाध्याय, राज्य की अति.स्था.अधि.श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, *न्याय मित्र* के साथ सुश्री विधि टेकर , अधिवक्ता

रि.या.(आप.) 1067 / 2022

जयपाल सिंह .....याची

के द्वारा: श्री अर्जुन मलिक, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

के द्वारा: सुश्री रुपाली बंदोपाध्याय, राज्य की अति.स्था.अधि.।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

निर्णय

1. वर्तमान याचिकाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई हैं, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के साथ पढ़ा जाता है **(इसके** बाद 'दं.प्र.सं) जिसमें याचीगण के लिए पहली दौर की फरलो की मांग की गई है, जो इस प्राथमिकी में सह-अपराधी हैं।
2. याचीगण दोषसिद्धि के आदेश और इस न्यायालय द्वारा 31.10.2018 को पारित निर्णय के अनुसार हिरासत में हैं, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2015 को पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है, जिसमें सभी याचीगण को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।

3. याचीगण को इस न्यायालय द्वारा आप.अ.सं. 884/2015 में प्राथमिकी सं. 110/1987 और 141/1987 में भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भा.दं.सं ') की धारा 302, 364, 307, 201, 120 ख और 34 के तहत पारित आदेश दिनांक 31.10.2018 के द्वारा दोषी ठहराया गया है और उन्हें उनके प्राकृत जीवनकाल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और ऐसा न करने पर उन्हें 18 महीने की अतिरिक्त अवधि की साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।

4. दिनांक 31.10.2018 के निर्णय से व्यथित याचीगण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपराधिक अपीलों प्रस्तुत किया है और वे विचाराधीन हैं। यह विवादित नहीं है कि उक्त आपराधिक अपीलों में दंड के निलंबन के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था, हालांकि, याचीगण द्वारा उसके परिणाम का उल्लेख नहीं किया गया है।

रि.या.(आप.) 697 /2022

5. याची, बुधि सिंह (76 वर्षीय) इस न्यायालय के समक्ष दायर नामावली के अनुसार संतोषप्रद जेल और अपने अच्छे आचरण के साथ दिनांक 19.03.2022 तक 3 साल 2 महीने 12 दिनों से जेल में बंद है।

6. याची ने तीन सप्ताह की अवधि के लिए फरलो के पहले दौर की मंजूरी के लिए जेल महानिदेशक (इसके बाद '**जेल महानिदेशक**') के कार्यालय से संपर्क किया था। जेल महानिदेशक ने दिनांक 10.03.2022 के अस्वीकृति पत्र के

माध्यम से याची को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदन पर विचार करने और अपराध की प्रकृति के साथ-साथ उसकी शेष सजा को देखते हुए फरलो देने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बारे में सूचित किया था।

<u>रि.या.(आप.) 997 / 2022</u>

7. याची बसंत वल्लभ (55 वर्ष) ने उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा से दिनांक 23.04.2022 तक 3 साल, 3 महीने और 25 दिन की अवधि पूरी की है। वह अपनी सजा के दौरान जेल में उसे आवंटित श्रम के रूप में वोडाफोन सहायक के रूप में भी काम कर रहा है। उसने फरलो के पहले दौर के अनुदान के लिए दिनांक 09.03.2022 के पत्र द्वारा जेल.महानिदेशक के कार्यालय से संपर्क किया। जेल महानिदेशक कार्यालय द्वारा भेजे गए दिनांक 07.04.2022 के पत्र के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया गया था। जेल महानिदेशक ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उनकी पहली अपील विचाराधीनता होने के आधार पर फरलो देने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया ।

<u>रि.या.(आप.)1044/2022</u>

8. याची सुरेश चंद शर्मा (71 वर्षीय) ने भी नामावली के अनुसार 27.04.2023 को 3 साल 5 महीने और 1 दिन की अवधि पूरी की है। याची यहाँ उसे आवंटित श्रम के अनुसार पुस्तकालय सहायक के रूप में काम कर रहा है और *जेल में* सही व्यवहार करता है। उन्होंने फरलो के पहले दौर के अनुदान

के लिए दिनांक 07.01.2022 के पत्र के माध्यम से जेल महानिदेशक से संपर्क किया था, जिसे जेल महानिदेशक द्वारा दिनांक 08.04.2022 के पत्र द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनकी पहली अपील विचाराधीन थी।

रि.या.(आप.) 1067/ 2022

9. वर्तमान मामले में याची जय पाल सिंह (56 वर्षीय) हैं। याची को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और नामावली के अनुसार, दिनांक 25.04.2022 तक उसने 3 साल 4 महीने 24 दिन जेल में बिताए हैं और अपनी सजा के दौरान वोडाफोन सहायक के रूप में श्रमिक के तौर पर काम करता रहा *हैं/ याची* ने दिनांक 07.01.2022 के पत्र के माध्यम से जेल महानिदेशक के कार्यालय में फरलो के पहले दौर के लिए आवेदन किया था, जिसे जेल महानिदेशक के कार्यालय ने दिनांक 19.04.2022 के पत्र द्वारा खारिज कर दिया था, क्योंकि उनकी पहली अपील भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी।

10. यह विवादित नहीं है कि चारों याचीगण को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। इसलिए, भले ही याची के खिलाफ रि.या.(आप.) सं. 697/2022 में अस्वीकृति पत्र पारित किया गया हो, जिसके तहत जेल महानिदेशक द्वारा फरलो के अनुदान के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। अपराध की प्रकृति के कारण का हवाला देते हुए राज्य द्वारा इस बात

से इनकार नहीं किया जाता है कि वह भी उस कारण से खारिज होने योग्य है जिसके कारण याचीगण द्वारा रि.या.(आप.) सं.997/2022, रि.या.(आप.)सं.1044/2022 और रि.या.(आप.)सं. 1067/2022 में दायर आवेदन खारिज कर दिए गए, यानी सजा के खिलाफ याची द्वारा दायर अपील माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

11. विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई और अनुरक्षण के आधार पर वर्तमान याचिकाओं का विरोध किया। उनका कहना है कि चूंकि याचीगण ने सजा के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, इसलिए इस न्यायालय के पास ऐसी राहत देने की कोई शक्ति नहीं है और रिहाई के लिए ऐसी कोई भी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जानी चाहिए। उनका कहना है कि उच्चतम न्यायालय में उनकी अपील लंबित होने के दौरान छुट्टी देना, के.एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य: एआईआर 1961 एससी 112 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शक्ति का हनन होगा।

12. दूसरी ओर, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि ***के.एम. नानावती*** (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय की वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। उनका कहना है कि उक्त मामले में, जब सजा के खिलाफ अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी तब माननीय उच्चतम न्यायालय राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति पर विचार कर रहा था।

13. प्रारंभिक आपत्ति और विवाद की प्रकृति पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने दिनांक 02.12.2022 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों को विचार के लिए तैयार किया थाः

"(क) क्या ***के. एम. नानावती बनाम बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1961एस. सी. 112*** *मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निर्धारित 'शक्ति के अपमान' का सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जहां एक कैदी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत फरलो पर रिहाई के लिए आवेदन करना चाहता है, जब उनके दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित है?*

(ख) क्या दिल्ली जेल नियम, 2018 में टिप्पणी 2 से नियम 1224 की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए और इस प्रकार उच्च न्यायालय शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शामिल करने के रूप में नहीं की जा सकती है, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वैधानिक अपील के मामले में भी ?

(ग) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है यदि दिल्ली जेल नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 को एक कैदी के फरलो पर रिहाई के लिए आवेदन करने के अधिकार पर रोक के रूप में व्याख्या किया जाता है, जब उनकी सजा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील निर्णय के लिए लंबित है?

(घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास फरलो देने की शक्ति है। यदि ऐसा है, तो क्या इस शक्ति का प्रयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन रहने के दौरान किया जा सकता है?

(ङ) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है यदि दिल्ली जेल नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 की व्याख्या एक कैदी के फरलो पर रिहाई के लिए आवेदन करने के अधिकार को बाधित करने के रूप में की जाती है, जब उनके दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित है?

(च) क्या दोषी द्वारा अर्जित अच्छे आचरण के बावजूद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन होने के कारण फरलो से इनकार करना सुधारात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांत के विपरीत होगा और इस तरह दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1199 और 1200 का उल्लंघन होगा?

(छ)क्या पैरोल पर न्यायशास्त्र फरलो पर लागू किया जा सकता है क्योंकि फरलो में सजा का निलंबन शामिल नहीं है?"

14. इस न्यायालय ने कार्यवाही में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ *अधिवक्ता* श्री सिद्धार्थ दवे को न्यायमित्र के रूप में भी नियुक्त किया।

<u>याचीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

यह प्रस्तुत किया जाता है कि याची अपने फरलो के पहले दौर के अनुदान के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वह तीन साल हिरासत में रह चुके हैं और उस दौरान उन्होंने अच्छा व्यवहार/आचरण बनाए रखा है, और दिल्ली जेल नियम, 2018

(इसके बाद 'नियम') के नियम 1220 और 1223 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया है।

16. याचीगण ने जेल महानिदेशक द्वारा अपने फरलो आवेदनों के अस्वीकार होने के बाद, वर्तमान रिट याचिकाओं को दर्ज किया है क्योंकि कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है।

17. फरलो और पैरोल की अवधारणा नियमों से उत्पन्न हुई है। दोनों वैचारिक रूप से अलग हैं-फरलो में सजा का कोई निलंबन नहीं है और दोषी को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जेल से रिहा किए जाने के बावजूद सजा जारी रहती है, जबकि जब दोषी को पैरोल पर रिहा किया जाता है, तो सजा निलंबित कर दी जाती है और सजा की अवधि अविकल रहती है। विद्वान अधिवक्ताओं ने **गुजरात राज्य बनाम नारायण *2021* एससीसी ऑनलाइन एससी 949 *मामले में*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *निर्णय पर भरोसा किया* । याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

> *"20. हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जमानत, फरलो और पैरोल के बीच अंतर पर भी विचार किया गया था। न्यायमूर्ति डीपी वाधवा ने हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 1988 और पंजाब अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 1962 का जिक्र करते हुए कहा कि*
>
> > *17. "फरलो "और" पैरोल "दो भिन्न शब्द हैं जिनका उपयोग अब जेल नियमावली या कैदियों की अस्थायी रिहाई से संबंधित कानूनों में किया जा रहा है। इन दोनों शब्दों ने विभिन्न*

परिणामों के साथ अधिनियम में अलग-अलग अर्थ प्राप्त किए हैं। इसलिए, शब्दकोश के अर्थ बहुत सहायक नहीं हैं। इस संबंध में हम हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 का उल्लेख कर सकते हैं जिसने पंजाब अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 को निरस्त कर दिया है। पंजाब अधिनियम पहले हरियाणा राज्य में लागू था। दोनों अधिनियमों की भाषा समान है और पैरोल और फरलो के बीच अंतर को समझने के लिए इन दोनों अधिनियमों में से किसी एक की धारा 3 और 4 का संदर्भ लेना उपयोगी हो सकता है:

[...]

18. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जब कोई कैदी पैरोल पर होता है तो उसकी रिहाई की अवधि को सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाता है, जबकि जब वह फरलो पर होता है तो वह रिहाई की अवधि को अपनी सजा की कुल अवधि के लिए गिने जाने का पात्र होता है।"

21. *असफ़ाक बनाम राजस्थान राज्य* [12] मामले में, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि:

11. पैरोल और फरलो के बीच एक सूक्ष्म अंतर है । पैरोल को कैदियों की सशर्त रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी किसी कैदी की जल्द रिहाई, अच्छे व्यवहार की शर्त और एक निर्धारित अवधि के लिए अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट करना। इसे सशर्त क्षमा के एक रूप के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा दोषी को उसकी सजा की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार, पैरोल अच्छे व्यवहार के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि पैरोल कर्ता नियमित रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। पैरोल पर कैदी की ऐसी रिहाई कुछ बुनियादी आधारों पर अस्थायी

तौर पर भी हो सकती है। उस स्थिति में, इसे सजा की मात्रा को बरकरार रखते हुए कुछ समय के लिए सजा का निलंबन मात्र माना जाएगा। पैरोल पर रिहाई को कुछ निर्दिष्ट अत्यावश्यकताओं में कैदियों को कुछ राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

[...]

14. दूसरी ओर, फरलो जेल से एक संक्षिप्त रिहाई है। यह सशर्त है और दीर्घकालिक कारावास मामले में दिया जाता है। सजा की अवधि कैदियों द्वारा फरलो पर खर्च किए जाने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरोल के मामले में किया जाता है। फरलो एक अच्छे आचरण के लिए छूट के रूप में दिया जाता है।"

22. *पैरोल और फरलो के बीच के अंतर को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए न्यायालय ने कहा कि*

16. [...]

i. पैरोल और फरलो दोनों सशर्त रिहाई हैं।

ii. अल्पकालिक कारावास के मामले में पैरोल दिया जा सकता है जबकि फरलो में यह दीर्घकालिक कारावास के मामले में दिया जाता है।

iii. पैरोल की अवधि एक महीने तक बढ़ जाती है जबकि फरलो के मामले में यह अधिकतम चौदह दिनों तक बढ़ती है।

iv. संभागीय आयुक्त द्वारा पैरोल दिया जाता है और जेल उप महानिरीक्षक द्वारा फरलो दिया जाता है।

(v) पैरोल के लिए, विशिष्ट कारण की आवश्यकता होती है, जबकि फरलो कारावास की नीरसता को तोड़ने के लिए होता है।

vi. कारावास की अवधि पैरोल की अवधि की गणना में शामिल नहीं है, जबकि फरलो में इसके विपरीत है।

vii. पैरोल कई बार दिया जा सकता है जबकि फरलो में एक निश्चित सीमा होती है।

viii. चूँकि फरलो किसी विशेष कारण से नहीं दिया जाता है, इसलिए समाज हित में इसे नकारा जा सकता है।

(महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश पांडुरंग दर्वाकर देखें [महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश पांडुरंग दर्वाकर, (2006) 4 एससीसी 776: (2006) 2 एससीसी (सीआरआई) 411] और हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह [हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह, (2000) 3 एससीसी 394 : 2000 एससीसी (सीआरआई) 645]।)"

18. विद्वान अधिवक्ता आगे कहते हैं कि के.एम. नानावती (पूर्वोक्त) मामले में बताए गए सिद्धांत को फरलो देने के लिए आवेदन पर विचार के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है। फरलो देना न तो निलंबन है और न ही सजा में छूट और यह किसी भी तरह से न्यायिक शक्तियों के साथ टकराव में नहीं है।

19. 'पैरोल' सजा/जमानत के निलंबन के बराबर है और इसलिए यदि उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दोषी की अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित कर देता है, तो यह माननीय उच्चतम न्यायालय की अपीलीय शक्ति का अपमान होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फरलो के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का ऐसा कोई अपमान नहीं होगा क्योंकि फरलो सजा/जमानत के निलंबन के बराबर नहीं है। उन्होंने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा राजेश कुमार बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार:

2012 (2) अपराध 281 (दिल्ली) में पारित निर्णय पर भरोसा किया; जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया:

> *"7. हालाँकि, हमारी राय है कि जब किसी दोषी द्वारा सजा के अंतरिम निलंबन या जमानत के लिए आवेदन को एक लंबित अपील में दायर किया जाता है, तब भी दोषी के लिए नियमित पैरोल के आधार पर इस न्यायालय से निलंबन/जमानत लेने के लिए हमेशा खुला रहता है और उच्च न्यायालय निलंबन और/या सजा के अंतरिम निलंबन के लिए आवेदनों पर विचार करते समय हमेशा उन आधारों पर विचार कर सकता है। धारा 389 या अन्यथा कानून में कुछ भी नहीं है, जो अपीलीय न्यायालय को अंतरिम जमानत देने या पैरोल के विचार पर सजा को निलंबित करने से रोकता है। खंड 10 बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि "दोषी उच्च न्यायालय से उचित आदेश की मांग कर सकता है" जिसका अर्थ है कि दोषी नियमित पैरोल के लिए आधारों की समानता पर आदेश की मांग कर सकता है। इस प्रकार, जिस आधार पर याची खंड 10 का आक्षेप करते हैं,अर्थात् "उच्च न्यायालय से उचित आदेश" की मांग करते समय नियमित पैरोल के लिए आधार उपलब्ध नहीं होना गलत है और इस प्रकार खंड 10 के अधिकारों को चुनौती देने का कोई गुण नहीं है।* ***इसके विपरीत, हमारा विचार है कि अधिकारियों को पैरोल देने की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब इस न्यायालय की कानूनी अपील में मामले को जब्त कर लिया जाता है और यदि अनुमति दी जाती है तो यह इस न्यायालय की अपीलीय शक्तियों का अपमान होगा और यह संघर्ष का कारण बन सकता है।"***

20. इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि जब अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो तो अधिकारियों को पैरोल के लिए आवेदन पर विचार करने की

अनुमति नहीं है, जबकि फरलो देने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है क्योंकि यह सजा के निलंबन के समान नहीं है।

21. विद्वान अधिवक्ता ने **शरद भीकू मार्चंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य** ***1990 एससीसी ऑनलाइन*** **बोम 197** मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर *भी भरोसा किया थाः* जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याची माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील विचाराधीनता होने के बावजूद फरलो नियमों के तहत फरलो के लिए आवेदन करने का हकदार है।

22. आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रासंगिक नियम, यानी नियमों की टिप्पणी 2 से नियम 1224 तक, अन्यथा भी फरलो देने की सीमा केवल तभी सीमित होती है जब दोषी की अपील "उच्च न्यायालय" के समक्ष लंबित हो, जबकि वर्तमान मामले में, अपीलें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, न कि उच्च न्यायालय में। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं है। उक्त टिप्पण की भाषा सरल और स्पष्ट है और अधिकारियों के लिए ऐसी सीमाओं को पढ़ना संभव नहीं है जिन्हें विधायिका ने अपने विवेक से हटा दिया है। "उच्च न्यायालय" शब्दों को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने को उक्त नियमों में नहीं पढ़ा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रारूपक को टिप्पण (2) में 'उच्चतम न्यायालय' शब्द शामिल करने से किसी ने नहीं रोका, जो कि दिल्ली

जेल नियमों में निहित अन्य नियमों के अवलोकन से स्पष्ट है, जहां वि.अनु.या. और उच्चतम न्यायालय शब्द बार-बार संदर्भित किए जाते हैं।

23. उन्होंने भूपिंदर सिंह बनाम यूनिटेक लिमिटेड ***2021* एससीसी ऑनलाइन एस*सी 320; राजेंद्र दीवान बनाम प्रदीप कुमार रानीबाला और अन्य:(2019)* 20 एससीसी *143; महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश पांडुरंग दरवाकरः(2006)* 4 एससीसी *776; हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंहः(2000)* 3 एससीसी 394 *और नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्यः(1966) 3* एस*सी*आर 711;** में पारित निर्णयों ***पर भी भरोसा किया था।*** अपनी दलीलों के समर्थन में कि पाठ विधायी मंशा का सबसे अच्छा परीक्षण है जब तक कि यह अस्पष्ट न हो। जब प्रावधान की भाषा सरल और स्पष्ट है, तो विधायिका के कुछ संभावित इरादे के आधार पर किसी भी सीमा को पढ़ने के लिए न्यायालय के लिए यह स्वतन्त्र नहीं है। ऐसा इरादा केवल क़ानून में वास्तव में प्रयुक्त शब्दों से ही पता लगाया जाना चाहिए।।

24. इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिद्धांत-पाठ विधायी आशय के लिए सबसे अच्छा परीक्षण है जब तक कि यह अस्पष्ट न हो-यदि लागू किया जाता है, तो नियम उन मामलों में फरलो के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करते हैं जहां दोषी की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह कहा गया है कि टिप्पण (2) में कोई अस्पष्टता नहीं है। नियमों के नियम

1244 के टिप्पण (2) में 'उच्च न्यायालय' का उल्लेख सरल और स्पष्ट है और इसलिए इसे शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

25. यदि नियमों के नियम 1244 के टिप्पण (2) की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अपील के रूप में की जाती है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। फरलो सुधार की अवधारणा का अभिन्न अंग है और जेल में अच्छे व्यवहार के लिए एक पुरस्कार/प्रोत्साहन है ताकि दोषी अंततः समाज में फिर से समामेलित कर सके। इस तरह की व्याख्या टिप्पण (2) को मनमाना और नियमों की भावना के विपरीत बना देगी।

<u>श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता विद्वान न्यायमित्र की ओर से प्रस्तुतियाँ।</u>

26. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 71 (2) (xxix) राज्य सरकार को कैदियों की अस्थायी रिहाई, निलंबन और सजा में छूट के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और पूर्वोक्त प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं। नियम 1197 से 1233 तक के नियमों का अध्याय 19 "पैरोल और फरलो" से संबंधित है। नियमों के नियम 1199 में प्रावधान है कि फरलो एक कैदी को अच्छे आचरण को बनाए रखने और जेल में अनुशासित रहने के लिए प्रेरणा के माध्यम से कुछ वर्षों की कैद के अंतराल के बाद थोड़े समय के लिए रिहा करना है। नियम 1200 में पैरोल

और फरलो के आक्षेप का प्रावधान है। न्यायमित्र ने 2018 के नियमों के नियम 1224 के नोट 2 का उल्लेख इस प्रकार किया है:

> *"यदि किसी दोषी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो फरलो नहीं दी जाएगी और दोषी के लिए न्यायालय से उचित निर्देश लेने का अधिकार होगा।*

27. उन्होंने प्रस्तुत किया कि के.एम. नानावती (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, फरलो देने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करते समय पूरी तरह से लागू होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि फरलो देना एक आदेश है जो उन शक्तियों के लिए आकस्मिक और सहायक है जिनका उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय लंबित अपीलों पर निर्णय लेते समय करेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोषी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में फरलो का लाभ लेने के लिए या ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए कार्यकारी को निर्देश देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश प्राप्त करने के लिए एक उचित आवेदन दायर करना आवश्यक है।

28. उन्होंने आगे कहा कि न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत की मांग है कि जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तो उच्च न्यायालय को ऐसी किसी भी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह का कोई भी आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए जहां याचीगण द्वारा दायर अपील पहले से ही लंबित हैं। यह कहा गया है कि

जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्यपाल को **के. एम. नानावती** (पूर्वोक्त) मामले में *सजा को* निलंबित *करने* की कोई शक्ति नहीं थी, उस अवधि के लिए जिस दौरान मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था, फरलो देने के लिए आवेदनों पर इस तरह का कोई भी विचार, वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अधिक पहुंच के बराबर होगा।

29. इसलिए, ऐसे मामले में जहां दोषसिद्धि के खिलाफ अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, दोषी को फरलो का लाभ लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक उचित आवेदन दायर करना होगा। दिल्ली जेल नियमों के तहत अधिकारियों [अर्थात महानिदेशक (कारागार)] को दोषी को छुट्टी देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है।

30. आगे यह भी कहा गया है कि अन्यथा भी छुट्टी पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने गुजरात राज्य बनाम नारायण @ नारायण साईं @ मोटाभगवान आसाराम: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 949 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया; यह तर्क देने के लिए कि यद्यपि बिना किसी कारण के छुट्टी का दावा किया जा सकता है, कैदी के पास इसका दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है।

31. उन्होंने आगे कहा कि नियमों में फरलो देने के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय अधिकारियों द्वारा विवेक का सही ढंग से उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने आगे कहा कि लंबित अपील के आधार पर फरलो देने के लिए आवेदन की अस्वीकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। इस आधार पर किसी आवेदन की अस्वीकृति **के.एम. नानावती** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत से उत्पन्न होती *है/ उन्होंने कहा* कि *न्यायिक* निर्णय को नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

32. विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया कि एक बार जब एक दोषी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील/विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है, तो न्यायिक अनुशासन के लिए अन्य सभी न्यायालयों/प्राधिकरणों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विषय वस्तु के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने से बचना होगा। उन्होंने भूपिंदर सिंह बनाम यूनिटेक लिमिटेड: **2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 320** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***द्वारा पारित निर्णय पर* भरोसा किया;** जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद आरोपी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने आरोपी को दंडाधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता दी। ऐसी स्वतंत्रता दिए जाने पर अभियुक्त व्यक्तियों ने दंडाधिकारी के समक्ष

जमानत के लिए आवेदन किया। जिसने निर्देश दिया कि उन्हें रिहा किया जाए। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब कोई अपील/विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित होती है, तो केवल उसी न्यायालय को न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत के कारण जमानत की प्रार्थना पर विचार करने का अधिकार होगा।

33. विद्वान न्यायमित्र ने आगे **गुजरात राज्य बनाम नारायण ए नारायण साईं @ मोटाभगवान आसाराम: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 949** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया; जिसमें भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दोषी करार दिए गए एक दोषी ने फरलो के लिए आवेदन किया था, जिसे डीजी जेल ने खारिज कर दिया था, जिसे बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने पलट दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश (जिसने दोषी को छुट्टी दे दी थी) को रद्द करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कैदी के पास छुट्टी का दावा करने का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है। फरलो का अनुदान सार्वजनिक हित के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए और कुछ श्रेणियों के कैदियों को इससे इनकार किया जा सकता है।

34. इसलिए, विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एक कैदी फरलो के आत्यन्तिक अधिकार का हकदार नहीं है। नियमों में फरलो के अनुदान के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय अधिकारियों द्वारा विवेक की एक डिग्री का प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है। एक दोषी फ़र्लो के लिए

आवेदन करने के अधिकार से वंचित नहीं है, क्योंकि वह कार्यकारी अधिकारियों या उपयुक्त न्यायालय से संपर्क कर सकता है। हालांकि, एक दोषी एक आत्यन्तिक अधिकार के रूप में फरलो का दावा नहीं कर सकता है, जो उसे अच्छे आचरण के परिणामस्वरूप सुनिश्चित किया जाता है। एक ओर फरलो प्राप्त करने के लिए दोषी के प्रतिस्पर्धी हितों और दूसरी ओर समाज के हितों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए।

<u>विश्लेषण</u>

35. दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 71 राज्य सरकार को कैदियों की अस्थायी रिहाई, निलंबन और सजा में छूट के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। ये नियम दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 की धारा 71 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए गए हैं। पैरोल और फरलो के अनुदान के लिए आवेदनों पर विचार करने के प्रावधान नियमों के अध्याय 19 में निहित हैं जिसमें नियम 1197 से 1233 शामिल हैं।

36. फरलो को नियमों के नियम 2 (17) के तहत एक दोषी कैदी को दी जाने वाली छुट्टी/इनाम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे पांच साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जिसने तीन साल बिताए हैं। फरलो देने के लिए आवेदन पर विचार करने के संबंध में नियम नियमावली के नियम 1220 से नियम 1243 में निर्धारित हैं।

37. फरलो के लिए आवेदन उन दोषियों द्वारा किया जाता है जो नियमों के नियम 1220 और नियम 1223 के अनुसार उपयुक्त हैं और यह निम्नानुसार हैः

> *"1220.* ***एक*** *कैदी जिसे 5 साल या उससे अधिक के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और निर्दोष रिकॉर्ड के साथ दोषी ठहराए जाने के बाद 3 साल के कारावास से गुजर चुका है, वह फरलो देने के लिए पात्र हो जाता है।*
>
> ***1223.*** *फरलो प्राप्त आदेश के योग्य होने के लिए, कैदी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगाः- I. जेल में अच्छा आचरण और पिछले 3 वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट में पुरस्कार अर्जित करने वाला होना चाहिए और अच्छा आचरण बनाए रखना जारी रहना चाहिए। II. कैदी आदतन अपराधी नहीं होना चाहिए। III. कैदी को भारत का नागरिक होना चाहिए।"*

38. *उक्त नियमों* का टिप्पण (2), जो वर्तमान याचिकाओं के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार बताती हैः

> *"यदि किसी दोषी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो फरलो नहीं दी जाएगी और दोषी के लिए न्यायालय से उचित निर्देश लेने का अधिकार होगा।"*

39. पैरोल और फरलो के उद्देश्य का भी नियमों में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। इसे एक प्रगतिशील उपाय कहा जाता है जो न केवल दोषी को कारावास की बुराई से बचाता है बल्कि उसे अपने परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने में भी सक्षम बनाता है। यह उसे आत्मविश्वास की भावना बनाए रखने और विकसित करने में मदद करता है और कैदी को अच्छा आचरण बनाए रखने और जेल में अनुशासित रहने के लिए भी प्रेरित करता है।

40. नियमों के नियम 1200 में किसी कैदी को पैरोल और छुट्टी पर रिहा करने के उद्देश्यों को निर्दिष्ट किया गया है। यह इस प्रकार है:

> ***"1200.*** *किसी कैदी को पैरोल और छुट्टी पर रिहा करने के उद्देश्य हैं:*
>
> *क. कैदी को अपने पारिवारिक जीवन के साथ निरंतरता बनाए रखने और पारिवारिक और सामाजिक मामलों से निपटने में सक्षम बनाना,*
>
> *ख. उसे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए,*
>
> *ग. उसे जीवन में रचनात्मक आशा और सक्रिय रुचि विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए,*
>
> *घ. बाहरी दुनिया के घटनाक्रमों के संपर्क में रहने में उसकी मदद करने के लिए,*
>
> *ङ. उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए,*
>
> *च. उसे कारावास के तनाव और बुरे प्रभावों से उबरने में सक्षम बनाना, और*
>
> *छ. जेल में अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए उसे प्रेरित करना।"*

41. पैरोल के लिए आवेदन पर नियमों के नियम 1210 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर विचार किया जाता है।

42. नियमों के नियम 1211 में उन मामलों को निर्दिष्ट किया गया है जिनमें दोषी को पैरोल नहीं दी जाएगी। पैरोल के मामले में, सजा को उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है जब दोषी पैरोल पर रिहा हो जाता है। ऐसे मामले में कैदी को सजा की पूरी अवधि (जब तक कि माफ नहीं किया

जाता) से गुजरना पड़ता है। जबकि, फरलो के मामले में, दोषी की रिहाई की अवधि के दौरान सजा निलंबित नहीं की जाती है। इस प्रकार, भले ही आरोपी को छुट्टी पर रिहा कर दिया गया हो, रिहाई की ऐसी अवधि को भी सजा के उद्देश्य के लिए गिना जाता है।

43. हालांकि, नियमों के नियम 1209 में स्पष्ट किया गया है कि एक दोषी को नियमित पैरोल नहीं दी जाएगी जहां दोषसिद्धि के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और आरोपी उच्च न्यायालय से उचित आदेश ले सकता है।

44. भले ही पैरोल और फरलो दोनों सुधारात्मक सेवाओं के एक प्रगतिशील उपाय के रूप में जेल से अस्थायी रिहाई के रूप में दोषियों को अस्थायी राहत देते हैं और इसका उद्देश्य एक कैदी के लिए पारिवारिक संबंध बनाए रखने और जेल में रहते हुए अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करने के अवसर के रूप में है, उनके बीच मूल अंतर यह है कि पैरोल में रिहाई की अवधि के दौरान सजा का निलंबन होता है जबकि फरलो में सजा रिहाई की अवधि के दौरान जारी *रहती है।* ***असफ़ाक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य*** **(2017)15 एससीसी 55** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरोल और फरलो के बीच के अंतर को संक्षेप में प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार हैः

> ***"16.*** *इस न्यायालय ने विभिन्न प्रामाणिक निर्णयों द्वारा पैरोल और फरलो के बीच अंतर निर्धारित किया है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैंः*

i. पैरोल और फरलो दोनों सशर्त रिहाई हैं।

ii. अल्पकालिक कारावास के मामले में पैरोल दिया जा सकता है जबकि फरलो में यह दीर्घकालिक कारावास के मामले में दिया जाता है।

iii. पैरोल की अवधि एक महीने तक बढ़ जाती है जबकि फरलो के मामले में यह अधिकतम चौदह दिनों तक बढ़ जाती है।

iv. मण्डलीय आयुक्त द्वारा पैरोल दिया जाता है और जेल उप महानिरीक्षक द्वारा फरलो दिया जाता है।

v. पैरोल के लिए, विशिष्ट कारण की आवश्यकता होती है, जबकि फरलो कारावास की एकरसता को तोड़ने के लिए होता है।

vi. कारावास की अवधि पैरोल की अवधि की गणना में शामिल नहीं है, जबकि यह फरलो में इसके विपरीत है।

vii. पैरोल कई बार दिया जा सकता है जबकि फरलो के मामले में एक निश्चित सीमा होती है।

viii. चूँकि फरलो किसी विशेष कारण से नहीं दिया जाता है, इसलिए समाज हित में इससे इनकार किया जा सकता है।"

<u>जब अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो तो क्या टिप्पणी 2 की व्याख्या और फरलो के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है</u>

45. इस सवाल के जवाब पर चर्चा से पहले कि क्या नियमों के अध्याय XIX में आने वाले 'उच्च न्यायालय' शब्द का अर्थ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसमें शामिल होगा या नहीं, इस न्यायालय को पहले इस बात की जांच करनी होगी कि क्या **केएम नानावती** (पूर्वोक्त) निर्णय में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा *निर्धारित सिद्धांत,* जो *सजा/जमानत* के निलंबन के संदर्भ में हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद विशिष्ट वैधानिक योजना को देखते हुए फरलो के मामलों में भी लागू होते हैं।

46. **के.एम. नानावती** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय *की संविधान* पीठ *इस* बात पर विचार कर रही थी कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति पर प्रभाव डालती हैं। अपीलार्थी, के.एम. नानावती को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और इससे पहले कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जा सकती थी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले राज्यपाल ने सजा को निलंबित कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऐसी परिस्थितियों में, अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल का सजा का निलंबन करने का आदेश केवल तब तक काम कर सकता है जब तक कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन न हो जाए। हालांकि, एक बार अपील दायर होने के बाद, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह ऐसे आदेश पारित करे जो वह उचित समझे, कि क्या दोषी को जमानत दी जानी चाहिए या उसकी सजा को निलंबित किया जाना चाहिए या कोई और आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उचित समझता है। जब मामला माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तब राज्यपाल के पास उस अवधि के दौरान सजा के निलंबन की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है ।

47. नियमों में शामिल नियम का तर्क, **के.एम. नानावती** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए *गए निर्णय* से *उत्पन्न* हुआ जो एक कैदी को पैरोल के अनुदान के लिए आवेदन दाखिल करने से वंचित करता है।

48. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपीलीय न्यायालय ने अपील को जब्त कर लिया है तो अधिकारियों को पैरोल देने की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यही न्यायालय की अपीलीय शक्तियों का हनन होगा। पैरोल की मंजूरी का प्रभाव उस अवधि के लिए सजा/जमानत के निलंबन पर पड़ता है जब ऐसी पैरोल दी गई हो। अपील विचाराधीन रहने के दौरान इस तरह के आवेदन की अनुमति देना न्यायालय की अपीलीय शक्तियों का अल्पीकरण होगा।

49. यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि कार्यपालिका को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब न्यायालय को किसी वैधानिक अपील में मामले को जब्त कर लिया जाता है और यदि अनुमति दी जाती है, तो यह न्यायालय की अपीलीय शक्तियों का अपमान होगा और विरोध का कारण बन सकता है। जब न्यायालय दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा होता है, तो वह अपील के साथ-साथ सजा के अंतरिम निलंबन या जमानत के लिए आवेदन पर भी विचार करता है, यदि

किसी दोषी द्वारा लंबित अपील में दायर किया जाता है। नियमित पैरोल के लिए दिए गए आधारों पर न्यायालय द्वारा दोषी के लिए निलंबन/जमानत की मांग करना हमेशा स्वतन्त्र रहता है। दंड प्रक्रिया संहिता या कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलीय न्यायालय को अंतरिम जमानत देने या पैरोल के विचार पर सजा को निलंबित करने से रोकता हो। अतः सजा को निलंबित करने की शक्ति अपीलीय न्यायालय के लिए तब उपलब्ध होती है जब अपील लंबित होती है और कार्यपालिका को न्यायालयों की ऐसी अपीलीय शक्तियों को निराकृत करने की अनुमति नहीं होती है।

50. हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पैरोल और फरलो के बीच एक मौलिक अंतर है। फरलो के मामले में सजा उस अवधि के दौरान निलंबित नहीं की जाती है जिस अवधि के दौरान कैदी को रिहा किया जाता है। याचीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में सार है कि फरलो किसी भी तरह से सजा को निलंबित नहीं करता है और न्यायालय की न्यायिक शक्तियों के साथ टकराव में नहीं है।

51. फरलो एक पुरस्कार है जो दोषी को जेल में रहते हुए उसके अच्छे आचरण पर दिया जाता है। यही अच्छा आचरण बनाए रखने और जेल में अनुशासित रहने के लिए प्रेरणा का एक तरीका है। हालाँकि, वही नियमों में निर्धारित मानदंडों के अधीन है। न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि दोषियों को भी कुछ समय के लिए ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए, बशर्ते वे कारावास के

दौरान अच्छा आचरण बनाए रखें और खुद को सुधारने की प्रवृत्ति दिखाएं। इस प्रकार, समाज की भलाई के लिए ऐसे कैदियों के मोचन और पुनर्वास को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

52. चूँकि जिस अवधि के लिए फरलो दिया गया है, वह कारावास की अवधि की गणना में शामिल है, इसलिए मेरी राय में, किसी भी तरह से, अपील न्यायालय के क्षेत्र से आगे बढ़ने का प्रभाव नहीं पड़ता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायशास्त्र को फरलो के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सजा के निलंबन और कार्यकारी या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे अनुदान के किसी भी आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है और जब अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो तो यह शक्ति का हनन नहीं होगा।

53. बंबई उच्च न्यायालय ने **शरद भीकू मारचंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**: **1990 एससीसी ऑनलाइन बॉम 197** के *मामले में भी ऐसा ही विचार रखा था;* और मैं काफी हद तक इससे सहमत हूं। इसलिए, मेरी *राय* में, **के. एम. नानावती** (पूर्वोक्त) के मामले में *उल्लिखित सिद्धांत,* इसके विपरीत किसी भी नियम की अनुपस्थिति में , फरलो देने के लिए आवेदन पर विचार करने के संबंध में लागू नहीं होता है।

55. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हालांकि पैरोल और फरलो के बीच विधिशास्त्र संबंधी अंतर है, जैसा कि *असफाक* निर्णय (पूर्वोक्त) में स्पष्ट किया

गया है, यदि नियमों के अध्याय XIX की वैधानिक योजना की बारीकी से जांच की जाती है, तो पैरोल और फरलो के लिए आवेदन के निपटारे के तरीके में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, जहां दोषी द्वारा अपने दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

56. नियमों के नियम 1209 और नियम 1224 के टिप्पणी 2 के अवलोकन से पता चलता है कि क्रमशः पैरोल या फरलो के विचार के संबंध में दोनों नियमों के तहत, यदि दोषी द्वारा कोई अपील की गई है और वह उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो वैधानिक जनादेश के संचालन से, कार्यकारी अधिकारी या तो पैरोल देने या दोषी को फरलो देने का अपना अधिकार क्षेत्र खो देते हैं और आरोपी को फरलो या पैरोल के लिए अपने आवेदन के संबंध में उचित आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने का उपाय प्रदान किया जाता है। नियमों के नियम 1209 में कहा गया है कि पैरोल नहीं दी जाएगी "क्योंकि दोषी *उच्च न्यायालय से उचित आदेश ले सकता है" और फरलो के* मामले में, नियमों के नियम 1224 के लिए टिप्पणी 2 में निर्धारित किया गया है कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील विचाराधीन होने की स्थिति में *"फरलो नहीं दिया जाएगा और दोषी के लिए न्यायालय से उचित निर्देश लेने की अनुमति होगी।"*

57. इस प्रकार फरलो और पैरोल के दोनों मामलों में, जहां दोषी की अपील अपील न्यायालय के समक्ष लंबित है, नियमों ने इस पर विचार करने के लिए

कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को छीन लिया है और इसे उच्च न्यायालय में निहित कर दिया है जहां दोषी की अपील विचाराधीन है।

58. नियमों के नियम 1224 में टिप्पणी 2 को शामिल करना, अन्य राज्यों में प्रचलित वैधानिक योजना से एकदम अलग है और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशिष्ट है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र राज्य जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा **शरद भीकू मार्चंडे** (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट *है। इसलिए, नियमों के नियम* 1224 में टिप्पण 2 को सम्मिलित करके, विधायिका ने उच्च न्यायालय के समक्ष दोषी की अपील लंबित होने पर फरलो के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कार्यपालिका में निहित अधिकार क्षेत्र को छीनने का एक सचेत निर्णय लिया है और इसे उस वैधानिक व्यवहार के बराबर बना दिया है जिसे एक दोषी के साथ किया जाना है जिसने पैरोल के लिए आवेदन किया है और जहां उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में नियमों के नियम 1224 के लिए टिप्पणी 2, **के.एम. नानावती** (पूर्वोक्त) में उल्लिखित शक्ति के अपमान के सिद्धांतों को शामिल करने वाली विधायिका *की अभिव्यक्ति* है।

59. इसलिए, भले ही टिप्पणी 2 को नियम 1224 में शामिल करने के साथ फरलो सजा के किसी भी निलंबन के बराबर नहीं है, कार्यपालिका द्वारा फरलो

देने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करना, मेरी राय में, अपील न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होगा।

60. इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि **के.एम. नानावती** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अपीलीय *शक्तियों के* अवमूल्यन *के* सिद्धांत, फरलो के मामलों में लागू होते हैं, जिन पर नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 के तहत विचार किया जाना है, मैं अब यह जांच करने के लिए आगे बढ़ूंगा कि क्या नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 में प्रयुक्त 'उच्च न्यायालय' शब्द का अर्थ भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शामिल करना है या नहीं?

61. इस संदर्भ में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि प्रासंगिक नियम, यानी नियमों के नियम 1224 का टिप्पणी 2, 'उच्च न्यायालय' के समक्ष लंबित अपील को संदर्भित करता है, भाषा सरल और स्पष्ट है और इसलिए, इसे शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अतः यह संतोषजनक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित वर्तमान मामले में अपील को कार्यपालिका या उच्च न्यायालय को फरलो देने के लिए आवेदनों पर विचार करने से नहीं रोकना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 में 'उच्च न्यायालय' के मंच को फरलो के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा

दोषसिद्धि के आदेश से अपील विचाराधीन होने के बावजूद, नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 के तहत उच्च न्यायालय के पास फरलो के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र होगा। जिस सिद्धांत पर इस तरह का तर्क दिया जाता है, वह इस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रतीत होता है कि 'जब कोई कानून किसी अधिकार का निर्माण करता है और ऐसे अधिकारों के निर्णय के लिए एक मंच प्रदान करता है, तो उपचार केवल उसी मंच से मांगा जाना चाहिए और किसी और से नहीं'।

62. इस न्यायालय की राय में, हालांकि नियमों के नियम 1224 के लिए टिप्पणी 2, 'उच्च न्यायालय' को फरलो के आवेदन पर विचार करने के लिए मंच के रूप में निर्धारित करता है, हालांकि, 'उच्च न्यायालय' का उक्त मंच केवल उच्च न्यायालय के एक अपील न्यायालय होने के संदर्भ में निर्धारित किया गया है। यह टिप्पणी 2 से नियम 1224 में विधायिका द्वारा प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट *हो जाता है जिसमें कहा गया है कि "यदि किसी दोषी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है .....तो फरलो नहीं दिया जाएगा और दोषी के लिए न्यायालय से उचित निर्देश लेने की अनुमति* होगी। इस प्रकार, मेरी राय में नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 में "उच्च न्यायालय" के मंच का पदनाम केवल एक अपील न्यायालय के संदर्भ में है और कोई अन्य नहीं।

63. इसके अलावा, भारत की संवैधानिक योजना के तहत उच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं है और उसके दोषसिद्धि के आदेश की अपील माननीय

सर्वोच्च न्यायालय में होती है जो देश का अंतिम न्यायालय है। साथ ही, यह सुस्थापित कानून है कि अपील मूल या मध्यवर्ती कार्यवाही की निरंतरता है। एक बार जब कोई वरिष्ठ न्यायालय किसी अपील को स्वीकार कर लेता है, तो वह अधीनस्थ न्यायालयों में वैधानिक रूप से निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों की सभी कार्यवाही अपील के साथ विलय हो जाती है और अधीनस्थ न्यायालय की सभी शक्तियां अपीलीय न्यायालय में निहित हो जाती हैं।

64. इस प्रकार, जहां उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की अपील को दोषी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वह उसके समक्ष लंबित है, तो विधितः नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 में प्रदर्शित उच्च न्यायालय शब्द का अर्थ होगा और इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, जो अपील न्यायालय है जिसके समक्ष दोषी की अपील लंबित है। ऐसी स्थिति में किसी भी दिशा में नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 के तहत विचार किए गए फरलो को अनिवार्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लिया जाना चाहिए।

65. यदि याचीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, यदि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां कार्यपालिका द्वारा फरलो के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा लेकिन इस तरह के

आवेदन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के मामले में विचार किया जाएगा और आगे उच्च न्यायालय के पास फरलो के लिए आवेदन पर विचार करने का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा, इस तथ्य के बावजूद कि दोषी की अपील उसके समक्ष या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मेरी राय में, यह, अर्थहीनता की ओर ले जाएगा।

66. नियमों के अवलोकन से निर्माताओं का इरादा स्पष्ट है कि उन मामलों में फरलो के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जहां दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित है। इस प्रकार, फरलो के अनुदान के लिए आवेदन पर विचार करने की शक्ति वैधानिक रूप से अपील न्यायालय में निहित की गई है जो मेरी राय में या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है।

67. मेरी राय में कोई भी अन्य व्याख्या अर्थहीन और विसंगत परिणाम देगी, जिसे विधायिका का आशय नहीं कहा जा सकता है और निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के किसी भी अर्थहीन और विसंगत परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

68. यह एक व्यवस्थित कानून है कि प्रावधानों को उस संदर्भ के अनुसार समझा जाना चाहिए जिसमें इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट्समैन के इरादे को सुनिश्चित करना न्यायालयों की शक्तियों के भीतर है और उन्हें केवल इस्तेमाल किए गए शब्दों को नहीं देखना है, बल्कि पूरे क़ानून को

देखकर उसकी व्याख्या करनी है। यदि शाब्दिक व्याख्या किसी विसंगति या बेतुकेपन को जन्म देती है, तो उससे बचना होगा।

69. इसके अलावा, अधिनियम को न्यायालय द्वारा एक उचित विधायिका/लेखक की अध्यक्षता में उचित तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। [संदर्भः **न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनुस्ली नेविल वादिया और *अन्यः(2008) 3 एससीसी 279]*** । *साथ ही, न्यायालय को इस प्रावधान की व्याख्या इस तरह से* करने की आवश्यकता है ताकि अर्थहीन, अव्यवहारिक, असंगत या असाधनीय परिणामों से बचा जा सके।

70. इसलिए, मेरी राय में, नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2, जो "उच्च न्यायालय" को संदर्भित करता है, का अर्थ भी पढ़ा जाना चाहिए और इसमें "सर्वोच्च न्यायालय" भी शामिल होना चाहिए।

71. यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ऐसा नियम जो जेल अधिकारियों को उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों पर विचार करने से रोकता है, पैरोल और फरलो दोनों के संबंध में मौजूद है। नियमों के नियम 1209 नियमित पैरोल के दोषी को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित होने के मामले में अयोग्य घोषित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के आधार पर पैरोल से इनकार, भले ही नियम में इस तरह के इनकार की परिकल्पना केवल उस स्थिति में की गई है जब उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, **बसंत वल्लभ बनाम राज्य 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 723 *के*** *मामले में इस*

न्यायालय के समक्ष विचार के *लिए* आया था। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और ऐसा कोई भी अनुदान शक्तियों का हनन होगा। मेरी राय में, **बसंत वल्लभ बनाम राज्य** (पूर्वोक्त) मामले में *इस न्यायालय की समन्वय पीठ* द्वारा निर्धारित अनुपात इस न्यायालय द्वारा फरलो देने के उद्देश्य से नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 के तहत शक्तियों के किसी भी प्रयोग पर लागू होगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित है यह सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्तियों के अवमूल्यन के बराबर है, जिसे के.एम.नानावती (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ पर *स्पष्ट रूप* से *खारिज* कर दिया गया है।

72. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की ओर से **शरद भीकू मार्चंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य: 1990 एससीसी ऑनलाइन बॉम 197** के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर मजबूत भरोसा जताया गया है।

73. उक्त मामले में, फरलो देने के लिए याची के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देने वाली अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

74. बॉम्बे उच्च न्यायालय, फरलो के अनुदान के संबंध द्वारा महाराष्ट्र राज्य द्वारा लागू जेल नियमों को देखने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याची

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील विचाराधीन होने के बावजूद फरलो के लिए आवेदन करने का हकदार था।

75. बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, मेरी राय में, याची के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

76. कोई भी नियम जो नियम के बराबर नहीं है, यानी, वर्तमान मामले में लागू नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 में, बॉम्बे जेल नियमों में मौजूद होने की ओर इशारा किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो उस समय फरलो देने पर रोक लगाता हो जब अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो या कानून की किताबों में विचाराधीन हो।

77. इसलिए, मैं बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय से इस हद तक सहमत हूं कि ऐसे किसी भी नियम की अनुपस्थिति में, अधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन होने के कारण फरलो के लिए आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था। हालांकि, दोनों राज्यों में मौजूद वैधानिक योजना में अंतर के कारण बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर वर्तमान मामले में याचीगण को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

<u>फरलो, एक आत्यन्तिक अधिकार नहीं है</u>

78. विद्वान न्याय-मित्र यह तर्क देने में सही हैं कि फरलो एक आत्यन्तिक कानूनी अधिकार नहीं है। कैदी फरलो पर रिहाई का दावा कर सकता है बशर्ते

नियमों में प्रदान की गई आवश्यक आवश्यकताओं का पालन किया जाए। चूंकि रिहाई के इस तरह के अधिकार का दावा नियमों के तहत किया जाता है, इसलिए नियमों के तहत आवश्यक आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है। नियमों में कुछ हद तक विवेक की परिकल्पना की गई है जिसका उपयोग अधिकारियों द्वारा फरलो देने के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय किया जा सकता है। नियमों में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि किसी दोषी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो फरलो नहीं दिया जाएगा और दोषी के लिए न्यायालय से उचित निर्देश लेने की अनुमति होगी।

79. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2, जो 'उच्च न्यायालय' को निर्दिष्ट करता है, में 'सर्वोच्च न्यायालय' को भी शामिल माना जाएगा । इसलिए, प्रत्यर्थी, उस हद तक, जब दोषसिद्धि के खिलाफ अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तब फरलो देने के लिए याचीगण के आवेदनों को अस्वीकार करना गलत नहीं है।

<u>क्या दिल्ली जेल नियम, 2018 में नियम 1224 का टिपण्णी 2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है?</u>

80. हालांकि, नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में कोई प्रार्थना नहीं की गई है। हालांकि, बहस के दौरान, पार्टियों की सहमति से 02.12.2022 को प्रश्न तैयार किए गए थे, जिसका प्रभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अधिकारातीत के

रूप में नियमों के नियम 1224 के टिप्पणी 2 की घोषणा पर पड़ता है। यदि याची की ओर से दी गई दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो टिप्पणी 2 को अधिकारातीत घोषित कर दिया जाएगा और उसे रद्द करना होगा। तथापि, उच्च न्यायालय नियम और आदेश खंड 5 के अध्याय 3 के भाग बी के उप-नियम (xviii) (क) के खंड (i) के अनुसार, संवैधानिकता को कोई चुनौती या नियमों के नियम 1224 को निरस्त करने के लिए किसी भी अनुरोध को माननीय खण्ड पीठ के समक्ष रखा जाना आवश्यक है और यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त मुद्दे पर विचार नहीं कर सकता है। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांकित 02.12.2022 को आदेश में तैयार किए गए मुद्दों का उत्तर निम्नानुसार दिया गया है;

<u>मुद्दा क</u>

81. मेरा मानना है कि **के.एम. नानावती** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्धारित शक्ति के अपमान *का सिद्धांत* उन *मामलों में* लागू नहीं होता है जहां लागू जेल नियम कार्यपालिका को किसी अपील न्यायालय, चाहे वह उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, के समक्ष दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक फरलो के लिए आवेदन पर विचार करने से इनकार *नहीं करते हैं। [संदर्भः**बसंत वल्लभ*** (पूर्वोक्त)]

82. हालांकि, जहां लागू जेल नियम कार्यकारी को अपीलीय न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक छुट्टी के लिए आवेदन पर विचार करने से रोकते हैं और दोषी द्वारा अपीलीय न्यायालय से उचित दिशा-निर्देश की मांग करते हैं, जिसमें उसकी सजा के आदेश के खिलाफ दोषी की अपील लंबित है, के.एम. नानावती (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्धारित शक्ति के ह्रास का सिद्धांत, नियमों के नोट 2 से नियम 1244 के मामले में, पूर्ण शक्ति के साथ लागू होगा।

<u>मुद्दा ख</u>

83. नियमों के नियम 1244 के टिप्पणी 2 का सटीक और सही तात्पर्य अपील न्यायालय को दोषियों के फरलो आवेदन की जांच करने और उस पर विचार करने की शक्ति प्रदान करना है, जहां दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील भी लंबित है। याची द्वारा प्रचार की गई किसी भी अन्य व्याख्या से अर्थहीन और विसंगत स्थिति पैदा होगी और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, नियमों के नियम 1244 के टिप्पणी 2 में दिखाई देने वाले "उच्च न्यायालय" शब्द की व्याख्या न्यायिक *अर्थ में* की जानी चाहिए और इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय शामिल होना चाहिए, यदि दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

<u>मुद्दा घ</u>

84. नियमों के नियम 1244 के टिप्पणी 2 के विशिष्ट अधिदेश को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी दोषी की अपील लंबित होने तक उसे छुट्टी देने से इनकार करने वाले आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध तब भी लागू होगा जब दोषी द्वारा उसके पक्ष में भारी शमनकारी परिस्थितियों का मजबूत मामला पेश किया गया हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित शक्ति का ऐसा कोई भी प्रयोग, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्तियों का अपमान होगा और के.एम. नानावती (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय *द्वारा* निर्धारित *सिद्धांत* का उल्लंघन होगा।

<u>मुद्दा ग,ङ ,च और छ</u>

85. चूँकि इन मुद्दों में नियम को एक अच्छा कानून नहीं होने की संभावित घोषणा शामिल हो सकती है, इसलिए उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय 3 के भाग ख के उप-नियम (xviii) (क) के खंड (i) के संदर्भ में और आदेश खंड V की संवैधानिकता को किसी भी चुनौती या नियमों के नियम को निरस्त करने के लिए किसी भी अनुरोध को माननीय खण्ड पीठ के समक्ष रखा जाना आवश्यक है।

86. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामले को मुद्दे ग.मुद्दे ङ .मुद्दे च और मुद्दे छ पर निर्णय देने के लिए रोस्टर न्यायपीठ को सौंपने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.12.2022 द्वारा तय किया है।

87. माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन, दिनांक 10.07.2023 को रोस्टर न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ।

न्या. अमित

महाजन

3 जुलाई, 2023

एसके/केडीके/आरएस/एचके/यूजी/"एसएस"

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*